उत्तर प्रदेश शासन
वित्त संसाधन (सामान्य)अनुभाग
संख्या- 6/2016/आर0जी0-1524/दस्-2015-25/01
लखनऊ- दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना
प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या -1,सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947) की धारा-32 क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश(पंचायती राज और स्थानीय निकाय) वित्त आयोग (नियुक्ति और सेवा की शर्ते) नियमावली, 1994 मे संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश (पंचायती राज और स्थानीय निकाय) वित्त आयोग (नियुक्ति और सेवा की शर्ते) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (पंचायती राज और स्थानीय निकाय) वित्त आयोग (नियुक्ति और सेवा की शर्ते) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी ।

(2) यह दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम (4) का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश (पंचायती राज और स्थानीय निकाय) वित्त आयोग (नियुक्ति और सेवा की शर्ते) नियमावली, 1994, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4-अध्यक्ष और सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।	4-अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

नियम (6) का संशोधन

3- उक्त नियमावली में, नियम-6 में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान उपनियम(2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) राजकीय सेवा से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त होकर और यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर, यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह अपने वेतन और भत्ते को आहरित करने के लिये या तो	(2) राजकीय सेवा से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त होकर और यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर, यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह या तो अन्तिम आहरित वेतन में से कुल पेंशन की धनराशि को घटाने पर प्राप्त धनराशि या नीचे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पेंशन की कुल धनराशि ऋण अन्तिम आहरित वेतन के सिद्धान्त पर या पेंशन की कुल धनराशि ऋण निम्न प्रकार उल्लिखित वेतन और भत्ते - (क) अध्यक्ष 80,000 रू0 प्रतिमास और अनुमन्य भत्ते । (ख) सदस्य 64,000 रू0 प्रतिमास और अनुमन्य भत्ते ।	यथा उल्लिखित वेतन और भत्तों में से कुल पेंशन की धनराशि को घटाने पर प्राप्त धनराशि के सिद्धान्त पर वेतन और भत्ते आहरित करें- (क) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव के समकक्ष मूल वेतन और अन्य अनुज्ञेय भत्ते , जैसा कि समय-समय पर नियत किया जाय, प्राप्त करेगा। (ख) सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख सचिव के प्रारम्भिक समयमान वेतनमान के समकक्ष मूल वेतन और अन्य अनुज्ञेय भत्ते जैसा कि समय-समय पर लागू किया जाय, प्राप्त करेगा।

आज्ञा से,

(मुकेश मित्तल)
सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।